100

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 67-दो/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 03-12-2016 - पारित व्दारा तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 14 अ-12/2005-06

1- दिनेश प्रसाद
2- छोटेलाल पुत्रगण शिवशरणमणि मिश्रा
3- ओमप्रकाश 4- कामताप्रसाद पुत्रगण केशवप्रसाद मिश्रा
5- श्रीमती सावित्री पत्नि स्व.केशवप्रसाद मिश्रा
सभी ग्राम पतौना तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

अरबिन्दकुमार पाण्डेय पुत्र गोपीनाथ
ग्राम पतौना तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 26-06-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14 अ-12/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 3-12-2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने उसके स्वामित्व की ग्राम पतौना स्थित भूमि सर्वे कमांक 374 के सीमांकन का आवेदन दिया, जिस पर से तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 14 अ-12/2005-06 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को जारी कराई गई। राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान ने मौके पर जाकर दिनॉक 3-7-2014 को सीमांकन किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 16-3-2015 तहसीलदार को प्रस्तुत किया। सीमांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा ने आदेश दिनांक 3-12-2016 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार ने समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देने के आदेश देकर सीमांकन करने के निर्देश राजस्व निरीक्षक को दिये थे किन्तु राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण को व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की है सीमांकन एकपक्षीय किया गया है एंव सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदकगण की भूमि जानबूझकर प्रभावित की गई है इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जावे।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि सीमांकन के पूर्व विधिवत सूचना का प्रकाशन किया गया है एंव ग्रामवासियों के समक्ष सीमांकन किया गया है मौके पर पंचनामा बनाया गया है। आवेदकगण जानबूझकर गलत जानकारी दे रहे है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न अभिलेख से यह तथ्य निर्विवाद है कि

सीमांकित भूमि अनावेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसके सीमांकन कराने का वह अधिकारी है, यदि आवेदक स्वयं् की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर. आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 3-12-2016 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 14 अ-12/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 3-12-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर